

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक
पीठासीन अधिकारी—

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर
134/2023 प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा
18.12.2023

तारीख निर्णय
21.03.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1—श्री हनुमान यादव पुत्र श्री रामपाल यादव निवासी ग्राम बिचपुडी पोस्ट बमोर तह. व जिला
टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स पूजा रेस्टोरेन्ट सवाई माधोपुर रोड सुन्दर नगर तारण के पास टोंक
जिला टोंक राज.। पिनकोड—304001 मोबाईल नं. 9983862103

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की
धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी हनुमान यादव स्वयं उपस्थित।

:-निर्णय:-

दिनांक 21.03.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी
दिनांक 07.06.2023 को समय 12:15 पीएम पर मैसर्स पूजा रेस्टोरेन्ट सवाई माधोपुर रोड
सुन्दर नगर तारण के पास टोंक जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री हनुमान यादव पुत्र श्री
रामपाल यादव अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना
परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री हनुमान यादव ने स्वयं को प्रतिष्ठान का
मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र
ऑनलाईन आवेदन करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम
जनता को विक्रय हेतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ डीप फ्रीजर में स्टील की एक टंकी में
लगभग 15 किलोग्राम दही (मिश्रित दूध से निर्मित) रखा था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देश
हुआ तो श्री हनुमान यादव को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को
सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री हनुमान यादव व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक
ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर
विक्रेता को बताकर कि यह दही (मिश्रित दूध से निर्मित) वास्ते नमूना जांच क्य किया जा
रहा है, 800 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



प्रतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया दही (मिश्रित दूध से निर्मित) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 15,000/- (अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 21.03.2024 से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(सुरेश चौधरी)
न्यायप्रतिपक्ष अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक-राज0